बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या–प्र0–7 / नियम–01–04 / 2026– 4511(S) पटना, दिनांक– 6/7/2026

भू–बद्ध बिहार राज्य में, राज्य सरकार ने सड़कों के विकास, उन्नयन तथा अनुरक्षण को प्रमुख अवसंरचना के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। यह औद्योगिकीकरण के अगले चरण, लॉजिस्टिक्स दक्षता, गतिशीलता तथा आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण में योगदान देगा। इसके साथ ही यह व्यापार तथा क्षेत्रीय एकीकरण को भी प्रोत्साहित करेगा। राज्याधीन पथों के निर्माण एवं उन्नयन तथा उनके लिए आधुनिक, सतत् एवं दीर्घकालिक आउटपुट एवं परफॉर्मेंस आधारित सड़क अनुरक्षण संविदा (OPRMC) प्रणाली अपनाए जाने से सड़क की राइडिंग क्वालिटी, सड़क सुरक्षा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

चूँकि, बिहार सरकार संपर्कता में और अधिक सुधार, यात्रा समय में कमी, सड़क सुरक्षा में वृद्धि तथा राज्य में संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, प्रमुख पुलों, उपमार्गो, सुरंगों तथा नियंत्रित प्रवेश गलियारों सहित वृहद स्तर के अवसंरचना के व्यापक विकास का कार्य कर रही है एवं भविष्य में भी ऐसे कार्य किए जाने का आशय रखती है।

और चूँकि, ऐसी सड़क अवसंरचना के विकास, संचालन तथा अनुरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

और चूँकि, आधुनिक दृष्टिकोण है कि सड़क उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तावाली सुरक्षित सड़क अवसंरचना उपलब्ध कराने एवं उसके अनुरक्षण हेतु सड़क उपयोग शुल्क का संग्रह किया जाए।

और चूँकि, लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन समझा गया है कि ऐसी अवसंरचना का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से टोल अथवा उपयोगकर्त्ता शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण हेतु एक पारदर्शी, एकरूप तथा विधिक रूप से सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाए, जो इस सिद्धान्त पर आधारित हो कि उन्नत सुविधाओं से लाभान्वितों को इसके विकास, संचालन तथा अनुरक्षण में योगदान देना चाहिए।

और चूँकि, वित्तीय सतत्ता, सेवा गुणवत्ता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, संरचित टोल व्यवस्था को अपनाया जायेगा जो कि सार्वजनिक– निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं पर भी लागू होगा।

और चूँकि, बिहार राज्य में टोल वसूली के संबंध में वर्तमान में बिहार टोल नियमावली, 1979 (यथा समय– समय पर संशोधित, वर्ष 1982 सहित) तथा उससे संबंधित लागू दिशा– निर्देशों एवं परियोजना– विशिष्ट व्यवस्थाओं के प्रावधान हैं, तथा समकालीन पद्धतियों एवं तकनीकी उन्नति के अनुरूप वर्तमान रूपरेखा का अद्यतन एवं पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, अतएव भारतीय टोल अधिनियम, 1851 यथा संशोधित भारतीय टोल (बिहार संशोधन) अधिनियम 1965 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार टोल नियमावली, 1979 (यथा संशोधित, 1982) का, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोपित किये गये मामलों के संबंध को छोड़कर अधिक्रमण करते हुए, राज्य सरकार के नियंत्रण एवं अधिकारिता के अधीन परियोजना सड़कों, राज्याधीन सड़कों, स्थायी पुलों, बाईपासों तथा सुरंगों के उपयोग हेतु शुल्क के संग्रहण तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 अधिसूचित करती है।

बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरो का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को "बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026" कहा जाएगा।
(2) यह राज्य में सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगें।
(3) यह राज्य में इस नियमावली के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित एकरारनामों और संविदाओं और आमंत्रित निविदाओं पर लागू नहीं होगें।
(4) यह नियमावली के प्रकाशन से पूर्व लोकवित्त पोषित परियोजनाओं तथा निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजनाओं से संबंधित

निष्पादित एकरारनामों, अनुबंधों तथा आमंत्रित निविदाओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :–

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों–

(क) अधिनियम से अभिप्रीत है भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 यथासंशोधित भारतीय पथकर (बिहार संशोधित) अधिनियम, 1965;

(ख) आधार वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष 2026–27 जो उपयोगकर्त्ता शुल्क दर के प्रारंभिक निर्धारण के लिये संदर्भ वर्ष होगा;

(ग) निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (वार्षिकी) परियोजना से अभिप्राय किसी परियोजना/ राज्याधीन मार्ग के किसी खण्ड, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से संबंधित उस परियोजना से है जिसके लिए निर्माण हेतु वार्षिक अनुदान के भुगतान के लिये किसी रियायतग्राही के साथ एकरारनामा किया गया हो;

(घ) 'उपमार्ग' से किसी कसबा या नगर से होकर जाने वाला परियोजना/राज्य का कोई भाग अभिप्रेत है;

(ङ) 'रियायतग्राही' से अभिप्रेत है उस व्यक्ति, कंसोर्टियम, संयुक्त उपक्रम, विशेष प्रयोजन इकाई जिसके साथ बिहार सरकार द्वारा रियायत अनुबंध किया गया हो;

(च) 'संवृत्त उपयोगकर्ता फीस संग्रहण प्रणाली' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अधीन परियोजना/राज्यमार्ग पर यांत्रिक वाहनों द्वारा तय की गई वास्तविक यात्रा की दूरी के आधार पर फीस उद्गृहित की जाती है। परंतु यह और कि संवृत्त उपयोकर्त्ता फीस संग्रहण प्रणाली के आधार पर शुल्क अधिरोपित किये गए परियोजना/राज्यमार्ग पर आवागमन के लिए कोई रियायत देय नहीं होगी;

(छ) 'उत्थापित राजमार्ग' से परियोजना/राज्यमार्ग का ऐसा सेक्शन अभिप्रेत है जिसे पीयरो या स्तंभों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है;

(ज़) 'निष्पादन प्राधिकारी' से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार अथवा अधिकारी;

(झ) 'एक्सप्रेस मार्ग' से तीव्र गति के यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुंच सहित विभाजित वहन मार्ग वाला परियोजना मार्ग/ राज्यमार्ग अभिप्रेत है;

(ञ) ''फीस प्लाजा'' से फीस संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भवन संरचना, अथवा बूथ से अभिप्रेत है;

(ट) 'वित्तीय वर्ष' से किसी वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(ठ) 'फास्टैग' से किसी ऑनबोर्ड यूनिट (ट्रान्सपोंडर) अथवा वाहनों के सामने वाली विंड स्क्रीन पर लगी ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है'', और

(ड़) 'फास्टैग टोल प्लाजा लेन फास्टैग अथवा ऐसी किसी युक्ति के साथ फिट वाहनों के संचालन के लिए टोल प्लाजा की एक अनन्य रूप से कोई लेन है'

(ढ़)'प्री पेड पेमेंट इंस्टूमेंट' का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंकद्वारा यथा परिभाषित इंस्टूमेंट है;

(ण) इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण अवसंरचना से उपस्कर का सेट जिसमें हार्डवेयर और सैफ्टवेयर समाविष्ट है, अभिप्रेत है जो उपयोगकर्त्ता फीस के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण को ''ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट'' या किसी ऐसी डिवाईस या आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकागनिशन डिवाइस या फास्टैग या उनके संयोजन के माध्यम से सुकर बनाएगा;

(त़) ''ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट'' से ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त वाहन में गैर–अंतरणीय और दृढ़ता से फिट की गई डिवाइस अभिप्रेत है;

(थ) किसी वाहन के संबंध में 'सकल वाहन भार' से वाहन के कुल भार और मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन उस वाहन के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है;

(द) 'लेन' से मुख्य वाहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर और पचास सेंटीमीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाली लेन अभिप्रेत है;

(ध) 'यांत्रिक वाहन' से अपनी शक्ति के अधीन चलने वाला कोई वाहन अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत यथा परिभाषित मोटर वाहन भी है।

(न) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(प) 'निजी निवेश परियोजना' से यथास्थिति परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल उपमार्ग या सुरंग से अभिप्रेत है जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई एकरारनामा किया गया है;

(फ) 'लोक वित्त पोषित परियोजना' से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो उपर्युक्त खंड (प) मे यथा परिभाषित निजी निवेश परियोजना नहीं है और इसके अंतर्गत ऐसी निजी निवेश परियोजना भी है, जिसके संबंध में एकरारनामा समाप्त हो गया है;

(ब) पथ निर्माण विभाग से पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना अभिप्रेत है;

(भ) 'उपयोगकर्त्ता शुल्क'से अभिप्राय उस शुल्क से है जो परियोजना/राज्यमार्ग, पुल, उपमार्ग अथवा सुरंग के उपयोग हेतु सड़क उपयोगकर्त्ताओं से लिया जाता है;

(म) 'असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस' से परियोजना/राज्यमार्ग कि किसी खंड के उपयोग के लिए मोटर वाहन द्वारा देय उपयोगकर्त्ता फीस से अभिप्रेत है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसरंचना ने ऐसे वाहन के गुजरने को दर्ज (रिकॉर्ड) किया है, लेकिन इन नियमों के अधीन लगाए गए लागू उपयोगकर्त्ता फीस उदगृहीत नहीं किया है;

(य) ''राज्य सड़क'' से अभिप्राय राज्य के स्वामित्व वाले राजमार्ग, सड़को एवं पुलो से है, जिसमें इंटरचेंज, फ्लाईओभर, आरओबी/आरयुबी, उपमार्ग, सुरंग सम्मलित है, जो किसी राज्य द्वारा वित्तपोषित परियोजना अथवा 'जमा कार्यो' के माध्यम से निर्मित किए गए हो, तथा इससे खनन क्षेत्रों के अन्तर्गत सड़के भी सम्मलित है किन्तु राष्ट्रीय राज्यमार्ग तथा/अथवा पुल इन्टरचेंज, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयुबी, बाईपास, सुरंग जो किसी केन्द्रीय परियोजना के तहत निर्मित किये गए हो, इससे अपवर्जित किया गया है;

(र) 'परियोजना मार्ग' से अभिप्राय निर्माण अथवा उन्नयन हेतु विचाराधीन मार्गो से है;

(ल) 'खनन क्षेत्र' से अभिप्राय उन सभी क्षेत्रों से है जो माइन्स ऐक्ट 1952 के अन्तर्गत आते है, इसमें खनिजों की धुलाई, प्रसंस्करण, लदान, उतार एवं परिवहन के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त क्षेत्र भी सम्मलित है चाहे वे किसी स्थानीय क्षेत्रों के भीतर स्थित हो अथवा नहीं, जैसे कि इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है;

3. **उपयोगकर्त्ता फीस का उद्ग्रहण** –

(1) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार परियोजना/राज्यमार्ग के यथास्थिति, किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या परियोजना/राज्यमार्ग का भाग बनने वाली सुरंग के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी।

परंतु पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी लोक वित्त पेाषित परियोजना के माध्यम से निर्मित परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग को ऐसी फीस या उसके भाग के उद्ग्रहण से ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण अधिसूचित तिथि अथवा लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के पूरा होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर प्रारंभ होगा।

(3) निजी निवेश परियोजना की दशा में, नियम (3) के उप–नियम(1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(4) इन नियमों के नियम–3 में निहित किसी शर्त के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के अधीन देय उपयोगकर्त्ता के स्थान पर, राज्य सड़क अथवा उसके किसी खण्ड के उपयोग हेतु अथवा खनन क्षेत्रों में आवागमन करने वाले ऐसे समस्त यांत्रिक वाहनों, जो इन नियमो के अधीन

उपयोगकर्त्ता शुल्क देय होने के लिए उत्तरदायी हो, के लिए एक निश्चित अवधि हेतु संयोजित उपयोगकर्त्ता शुल्क के भुगतान की योजना निर्धारित कर सकेगीं, जो ऐसी शर्तो तथा प्रतिबंधों के अधीन होगी, जैसे कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट अथवा विहित किया जाए।

ऐसे संयोजित उपयोगकर्त्ता शुल्क का अधिरोपण आवागमन (to and fro) के आधार पर किया जाएगा तथा उक्त उपयोगकर्त्ता शुल्क एकतरफा यात्रा हेतु अथवा ऐसे अन्य राशि के रूप में होगा, जैसे कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए एवं अधिसूचना के माध्यम से समय–समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जो इस नियम के अधीन निर्धारित संयोजित उपयोगकर्त्ता शुल्क के भुगतान संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह देय संयोजित उपयोगकर्त्ता शुल्क की राशि का 3 गुणा जुर्माने के रूप में जमा करेगा।

(5) यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए दुपहिया, तिपहिया, ट्रेक्टरों, कंबाईन हार्वेस्टरो और पशु–चालित वाहनों के लिए कोई फीस उद्‌ग्रही नहीं की जाएगी।

परंतु तिपहिया, ट्रेक्टरों, कंबाईन हार्वेस्टरो और पशु–चालित वाहनों को, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जायगा जहां उक्त परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के स्थान पर कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सडक़ उपलब्ध है।

परंतु यह और कि जहां सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और किसी दुपहिया का स्वामी, चालक या उसका भारसाधन व्यक्ति यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग कर रहा है तो उससे कार पर उद्‌ग्रही फीस का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1– इस नियम के प्रयोजनों के लिए

(क) 'वैकल्पिक सड़क' से ऐसी अन्य सड़क अभिप्रेत है जिसका वहन मार्ग 3.75 मीटर या उससे अधिक चौड़ा है और जिसकी लंबाई परियोजना/राज्यमार्ग के उस सेक्शन की तत्समान लंबाई के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ख) 'सर्विस सड़क' से परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन के समानांतर चलने वाली सड़क अभिप्रेत है जो परियोजना/राज्यमार्ग के उस सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुंत प्रदान करती है।

(6) इन नियमों के अधीन बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस को निकटतम पाँच रूपए के गुणांक में पूर्णकित और उद्ग्रहीत किया जाएगा।

4 **फीस की आधार दर**

(1) कंडिका–3(1) में दिये गये प्रावधान के अधीन, लोक वित्त पोषित परियोजना या निजी निवेश परियोजना द्वारा निर्मित परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस की दर समान होगी।

(2) आधार वर्ष 2026–2027 के लिए चार या अधिक लेनों वाले परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर ऐसे सेक्शन की लंबाई को निम्नलिखित दरों से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगी अर्थात :–

वाहन का प्रकार	फीस की प्रति किमी0 आधार दर (रूपए में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	1.25
हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	2.00
बस या ट्रक (दो धुरी)	4.25
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	4.60
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन (चार से छः धुरी)	6.65
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	8.10

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजनों के लिए

(क) 'कार' या 'जीप' या 'वैन' या 'हल्का मोटर वाहन' से यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत यात्री वहन क्षमता चालक को छोड़कर बारह से अधिक नहीं है।

(ख) 'हल्का वाणिज्यिक वाहन' या 'हल्का माल वाहन' या 'मिनी बस' से सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक किंतु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किंतु बत्तीस से कम यात्री वहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है।

(ग) 'ट्रक या बस' से बारह हजार किलोग्राम से अधिक किंतु बीस हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथाविनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक वाहन अभिप्रेत है।

(घ)'भारी निर्माण मशीनरी' या 'अर्थमूविंग उपस्कर' या 'बहुधुरीय वाहन' से भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या चार से छह धुरी वाले बहुधुरीय वाहन सहित पचीस हजार किलोग्राम से अधिक किंतु साठ हजार किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाला वाहन अभिप्रेत है।

(ड़) 'विशाल आकार के वाहन' सात या अधिक धुरियों वाला यांत्रिक वाहन या ऐसा वाहन अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार साठ हजार किलाग्राम से अधिक है।

(च) तीन धुरी वाले वाहन से तीन धुरी वाले किसी यांत्रिक वाहन (ट्रेलर की धुरी सहित, यदि कोई हो) से अभिप्रेत है जिसका सकल वाहन भार पच्चीस हजार किलोग्राम से कम या बराबर है।

(3) ऐसी परियोजना/राज्य सड़क के किसी खण्ड के उपयोग हेतु शुल्क का दर, जिसकी वहन क्षमता 2 लेन या उससे अधिक हो किन्तु 4 लेन से कम हो, नियम 4 के उप नियम, (2) मे निर्दिष्ट शुल्क की दर का 60 प्रतिशत दर होगा।

(4) ऐसी परियोजना/राज्य सड़क के किसी खण्ड के उपयोग हेतु शुल्क का दर, जिसकी वहन क्षमता मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर) की हो, नियम 4 के उप नियम, (2) मे निर्दिष्ट शुल्क की दर का 50 प्रतिशत दर होगा।

(5) किसी परियोजना/राज्य मार्ग के किसी खंड, जो कि एक उपमार्ग है, के उपयोग के लिए उपयोगकर्त्ता शुल्क नियम–4 के उप नियम–2 के अनुरूप होगा।

परन्तु यह कि किसी परियोजना/ राज्य मार्ग के किसी ऐसे खण्ड के लिए, जिसका भाग उक्त उपमार्ग हो, शुल्क की गणना करते समय उक्त बाईपास की लंबाई को ही शुल्क अधिरोपण का आधार माना जायेगा।

(6) इस नियम में निहित किसी बात के होते हुए भी–

(क) सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से निर्मित बाईपास या सुरंग से युक्त किसी परियोजना/राज्यमार्ग के खंड के उपयोग हेतु शुल्क की दर, उप–नियम (2), (3) एवं (4) में उपबंधित दर के समान होगी तथा नियम–(5) के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी तथा,

(ख) सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से निर्मित स्थायी पुल के उपयोग हेतु शुल्क की दर, इन नियमों के प्रारंभ पर यथावत रहेगी तथा नियम–5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी।

परंतु यदि, परियोजना/ राज्य सड़क अथवा पुल के किसी खंड को लेन उन्नयन हेतु लिया गया हो या नहीं, इसके बावजूद, ऐसी परियोजना/ राज्य सड़क, स्थायी पुल, उपमार्ग जो लोक वित्तपोषित परियोजना अथवा निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (वार्षिकी) परियोजना के अन्तर्गत निर्मित की गई हो तथा नियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान हो, शुल्क की दर नियमों के प्रारंभ के पश्चात् उस तिथि को लागू शुल्क दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक से नहीं बढ़ाई जायेगी तथा इसके उपरान्त होने वाली वार्षिक वृद्धि किसी भी स्थिति में तत्काल पूर्ववर्त्ती वर्ष में लागू दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह कि चार–लेन राजमार्ग के किसी खण्ड के मामले में, जिसको छः–लेन में लेन उन्नयन हेतु लिया गया है, शुल्क में वृद्धि उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर के पचहत्तर प्रतिशत तक सीमित होगी और इसे नियम 5 के अधीन पुनरीक्षण, ऐसे कार्य के प्रारंभ और लेन उन्नयन से संबंधित कार्य के लिए रियायतग्राही से हुए एकरारनामा में निर्दिष्ट कार्य पूर्णता तिथि तक, जिसमें वार्षिक पुनरीक्षण देय नहीं होगा, किया जायेगा।

परन्तु रियायतग्राही के साथ एकरारनामा में निर्धारित पूर्णता तिथि एवं वास्तविक पूर्णता तिथि के बीच विलम्ब के लिए उपयोगकर्त्ता शुल्क नहीं लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के उद्देश्यों के लिए, परियोजना की पूर्णता की वास्तविक तिथि के साथ विलंबित अवधि के दौरान कोई अस्थायी पूर्णता का उपबंध, परियोजना की पूर्णता के रूप में नहीं माना जाएगा।

(7) निजी निवेश परियोजनाओं के मामले में, फीस की दर नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दर होगी अथवा ऐसी निम्न दर होगी जिसका अवधारण रियायतग्राही, सभी अथवा किसी श्रेणी के वाहन को विनिर्दिष्ट करते हुए उपभोक्ताओं को लोक सूचना देकर करेगा।

(8) 4–लेन राजमार्गों के किसी खंड के लिए फीस की दर, 6 लेन में उन्नयन किए जाने के लिए बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरो का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम 2026 के अनुसार निर्धारित शुल्क का 75%, कार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से ही, किसी वार्षिक पुनरीक्षण के बिना, परियोजना पूरी किए जाने की तारीख तक होगी।

परंतु रियायतग्राही के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार परियोजना कार्य पूरा किए जाने की तारीख और परियोजना पूरी होने की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में विलंब के लिए कोई पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी परियोजना को अनंतिम रूप से पूरी किए जाने को यह नहीं माना जाएगा कि परियोजना पूरी हो गई है।

(9) पेब्ड शोल्डर सहित 2 लेन, परन्तु चार लेन से कम वाले राजमार्ग के किसी खंड पर शुल्क की दर, चार या अधिक दर लेन में उन्नयन से संबंधित कार्य प्रारंभ होने और परियोजना के पूरा होने तक, बिना किसी वार्षिक पुनरीक्षण के उप– नियम (2) के अधीन यथा निर्दिष्ट शुल्क का तीस प्रतिशत होगा।

(10) संरचना या संरचनाओं से युक्त परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना या संरचनाओं की लंबाई के सिवाय परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की

लंबाई का दस गुना जोड़कर या परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।

स्पष्टीकरण :–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "संरचना" से कोई स्वतंत्र पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या उत्थापित परियोजना/ राज्यमार्ग से अभिप्रेत है।

उदाहरण (1)

यदि किसी परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 10 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 30 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

10*30 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 10 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 310 किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात 5*40= 200 किलोमीटर

उपयोगकर्त्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (ii) यदि परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 10 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

10X10(अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना)+ 30 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 130 किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना =5X40 =200 किलोमीटर

उपयोगकर्त्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 130 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

<u>उदाहरण (iii)</u>

यदि परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें केवल संरचना सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

10X40(अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना)= 400 किलोमीटर

या

परियोजना/राज्यमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई का पाँच गुना = अर्थात 5X40=200 किलोमीटर

उपयोगकर्त्ता फीस की गणना कम लम्बाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

परंतु यह फीस की गणना परियोजना/राज्यमार्ग के भाग के रूप में किसी संरचना या संरचनाओं पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी संरचना की लंबाई साठ मीटर या उससे कम है और इसे परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन की सामान्य लंबाई के भाग के रूप में माना जाएगा।

(11) परन्तु यह कि किसी रेखीय राजमार्ग,या एक्सप्रेस मार्ग (Expressway) पर स्थित 60 मीटर अथवा उससे कम लंबाई की संरचना को शुल्क की गणना के प्रायोजनार्थ राजमार्ग की सामान्य लंबाई का भाग माना जायेगा।

5. **फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण**

(1) नियम 4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल 2027 से प्रशमन के बिना प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी और बढ़ाई गई ऐसी दर आगामी वर्षो के लिए आधार दर समझी जाएगी।

(2) लागू आधार दरें 3 जनवरी, 2026 को समाप्त (अर्थात 157.2) और उस वर्ष की 1 जनवरी जिसमें ऐसा संशोधन किया जा रहा है, को या उसके ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह के बीच थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएंगी किंतु

ऐसा पुनरीक्षण थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि के चालीस प्रतिशत तक सीमित होगा।

(3)फीस की लागू दर अवधारित करने का सूत्र निम्नलिखित होगा।

फीस की लागू दर = आधार दर + आधार दर X ((थोक कीमत सूचकांक क–थोक सूचकांक ख)/थोक कीमत सूचकांक ख) X 0.4

स्पष्टीकरण– इस उप नियम के प्रयोजनाओं के लिए

(क) फीस की लागू दर उपयोगकर्त्ता द्वारा संदेय दर होगी।

(ख) आधार दर, नियम 5 के उप–नियम (1) के साथ पठित नियम 4 में विनिर्दिष्ट दर होगी।

(ग) थोक कीमत सूचकांक 'क' से इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है; और

(घ) थोक कीमत सूचकांक 'ख' से 3 जनवरी, 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अर्थात (157.2) अभिप्रेत है।

(4) इस नियम के अंतर्गत शुल्क दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।

6. फीस का संग्रहण

(1) इन नियमों के अधीन उद्ग्रहित फीस पथकर प्लाजा पर यथास्थिति बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहित की जाएगी।

(2) प्रत्येक यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा।

(3) इन नियमों के अधीन फीस का भुगतान नगद अथवा प्री–पेड भुगतान साधनों, स्मार्ट कार्ड अथवा ऑन बोर्ड युनिट (ट्रांसपोंडर) के माध्यम से देय होगा।

परंतु यह और कि नियम 9 के उपनियम (2),(3) एवं उपनियम 3(क) के अधीन रियायत के मद्दे संदेय फीस का संदाय स्मार्ट कार्ड के माध्यम से या फास्टैग या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति के माध्यम से किया जाएगा।

परंतु यह और कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आनबोर्ड यूनिट से युक्त वाहन के लिए अनन्य लेन चिन्हित की जा सकेगी और यदि ऐसी लेन में कोई वाहन विधिमान्य ऑनबोर्ड यूनिट के बिना प्रवेश करता है, तो उस फीस प्लाजा पर लागू उपयोगिता फीस के दो गुना के समतुल्य फीस संदत्त करेगा।

(3क) यदि किसी वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो वह नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोगकर्त्ता फीस का दोगुना संदत्त करेगा।

परन्तु यह कि यदि वाहन का उपयोगकर्त्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह वह नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोगकर्त्ता फीसका 1. 25 गुना भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण :–

यदि नियम 4 के उप–नियम (2) के अनुसार किसी विशेष श्रेणी के वाहन के लिए उपयोगकर्त्ता फीस एक सौ रूपये है यदि वह वाहन, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उस वाहन का उपयोक्ता, उपयोगकर्त्ता फीस का दो गुना (अर्थात् दो सौ रूपये नगद) का भुगतान करेगा और यदि उस वाहन का उपयोक्ता एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह 1.25 गुना (अर्थात् केवल एक सौ पचास रूपये मात्र) का भुगतान करेगा।

(3ख) उप–नियम (3क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग वाले वाहन का उपयोक्ता, जिसके लिंक किए गए खाते में पर्याप्त राशि है, फीस प्लाजा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना की खराबी के कारण फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्त्ता फीस का

भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस वाहन उपयोक्ता को बिना किसी उपयोगकर्त्ता फीस के फीस प्लाजा पार करने की अनुमति होगी और उस लेनदेन के लिए शून्य लेनदेन रसीद जारी की जाएगी।

(4) यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो फीस के संदाय के लिए ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति की संस्थापन का चयन करता है, ऐसी संस्थापना के लिए, यथास्थिति, बिहार सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास उपस्कर की लागत के समतुल्य प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप करेगा और ऐसे प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज संचित नहीं होगा।

(5) बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यथास्थिति, उप नियम (3क) और नियम 10 के अधीन फीस प्राप्त करते समय, वाहन उपयोक्ता को एक रसीद जारी करेगा, जिसमें फीस प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और उस वाहन की श्रेणी विर्निष्ट होगी जिसके लिए फीस प्राप्त किया गया है।

(6)(क) फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी और रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा।

(ख) रियायत एकरारनामा के अनुसार यथा अधिसूचित फीस, रियायत अवधि के अंत तक आरोपणीय होगी और रियायत एकरारनामा के पूरा होने के पश्चात, यथास्थिति, परियोजना/ राज्यमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली फीस नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस के अनुसार राज्य सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा संग्रहीत की जाएगी।

परंतु लोक वित्तपोषित परियोजना के संबंध में, यथास्थिति, परियोजना/ राज्यमार्ग, पुल, सुरंग या उपमार्ग के ऐसे खंड के लिए इन नियमों के अनुसार वार्षिक रूप संशोधित की गई उदग्राहय फीस का शाश्वतता में संग्रहीत होना जारी रहेगा।

(7) लोक वित्त पोषित परियाजनाओं के संबंध में इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से या किसी ठेकेदार के माध्यम से किया जाएगा।

6A इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण एवं फास्टैग का अनुपालन

(1) अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण

यह नियमों के अधीन उपयोगकर्ता शुल्क (User Fee) का संग्रह, जहाँ तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (Electronic Toll Collection System) के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें फास्टैग या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रौद्योगिकी सम्मिलित है जो बिहार सरकार द्वारा स्वीकार्य हो।

(2) फास्टैग का अनिवार्य उपयोग

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट श्रेणियों के वाहनों अथवा अन्य अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर, परियोजना मार्ग, सेतु, उपमार्ग या सुरंग के टोलिंग खंड से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन के अग्रभाग पर वैध एवं क्रियाशील फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा।

(3) फास्टैग सक्षम अवसंरचना

कार्यान्वयन प्राधिकारी अथवा रियायतग्राही, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि कंप्लायंट लेन, टोल प्लाजा उपकरण, कैमरा, बैक एंड सिस्टम एवं कनेक्टिविटी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध हों। यह व्यवस्था राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण नीति तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/ इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (IHMCL) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(4) गैर फास्टैग वाहनों पर उच्चतर उपयोगकर्ता शुल्क

वैध फास्टैग के बिना, अथवा ऐसे फास्टैगके साथ जो ब्लैकलिस्टेड, निष्क्रिय या अपठनीय हो गया हो, यदि ऐसी स्थिति उपयोगकर्ता जनित है, ऐसे वाहनों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोलिंग नीति के अनुरूप निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क देय होगा।

(5) उपयोगकर्त्ता के चूक के कारण कोई छुट नहीं

फास्टैग खाते में अपर्याप्त शेष राशि, अनुचित संलग्न, छेड़छाड़ या उपयोगकर्त्ता की लापरवाही के कारण यदि ट्रान्जैक्शन असफल होता है, तो उसे प्रणाली की असफलता नहीं माना जाएगा। ऐसे वाहन पर लागू उच्चतर उपयोगकर्ता शुल्क देय होगा।

(6) **गलत लेन का उपयोग**

फास्टैग युक्त कोई भी वाहन यदि गैर–निर्धारित लेन, नकद लेन या प्रतिबंधित लेन में प्रवेश करता है या उससे होकर गुजरता है, तो इसे प्रदर्शित निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे वाहन प्रयोक्ता पर लागू दर का दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेगा, इसके अलावा अन्य विहित कार्रवाई भी होगी।

(7) **फास्टैग का दुरूपयोग या छेड़छाड़**

फास्टैग के साथ किसी भी प्रकार का दुरूपयोग, छेड़छाड़, क्लोनिंग, अनधिकृत उपयोग, अवैध उपयोग अथवा एक वाहन के लिए जारी फास्टैग का किसी अन्य वाहन में उपयोग, दुरूपयोग की श्रेणी में आएगा और इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप–

(क) अंतर राशि अथवा दंडात्मक उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली की जाएगी।

(ख) संबंधित वाहन के फास्टैग को इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, तथा

(ग) लागू विधि के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(8) **कालीकरण एवं प्रवेश में वर्जित करना**

इलेक्ट्रॉनिक शुल्क संग्रहण से संबंधित बार–बार उल्लंघन जिसमें चोरी, दुरूपयोग एवं भुगतान ना करना शामिल है, फलस्वरूप वाहन के फास्टैग को कालीकृत किया जा सकता है तथा ऐसे वाहन को बकाया राशि अथवा दंड राशि के पूर्ण भुगतान तक प्रवेश मार्ग से प्रवेश वर्जित किया जायेगा।

(9) **वार्षिक एवं दीर्घकालीन फास्टैग पास**

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट वाहन वर्गो हेतु वार्षिक या दीर्घकालीन फास्टैग आधारित पास की व्यवस्था लागू कर सकेगी, जिसकी वैधता, दरें एवं पात्रता मानदंड राष्ट्रीय नीति के अनुरूप निर्धारित किए जा सकते हैं।

(10) **प्रणाली की विफलता अथवा नेटवर्क आउटेज**

प्रणाली विफलता, नेटवर्क आउटेज अथवा उपयोगकर्त्ता को आबद्ध नहीं होने वाली तकनीकी खराबी की स्थिति में कार्यान्वयन प्राधिकार अथवा रियायतग्राही द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फौलबैक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा जिससे उपयोगकर्ता को न्यूनतम असुविधा हो एवं राजस्व क्षरण पर रोक लगायी जा सके।

7 फीस का प्रेषण और विनियोजन

(1) कार्यकारी एजेंसी, एकरारनामा के अनुबंधों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर, संग्रहित शुल्क/ एकरारनामा के अनुसार देय राशि को निष्पादन प्राधिकारी के नामित खाते में जमा करेगा।

(2) लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के स्थिति में इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निष्पादन प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा संग्रहित राशि को, पथ निर्माण विभाग के निदेशानुसार पूर्णतः अथवा उसके भाग को ऋण के पुर्नभुगतान हेतु पृथक खाते में जमा किया जायेगा। शेष राशि बचे रहने के स्थिति में, राशि को बिहार सरकार के बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार समेकित निधि में जमा किया जायेगा।

परंतु यह और कि निजी निवेश परियोजनाओं में इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहित फीस रियायतग्राही द्वारा किए गए एकरारनामा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए विनियोजित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार निष्पादन प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्ययों को अलग से अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित करेगी। इसके लिए पृथक बजटीय

प्रावधान किया जायेगा तथा उक्त व्यय का वहन विशेष एवं नामित व्यय शीर्ष के माध्यम से किया जायेगा।

8. पथकर प्लाजा का अवस्थापन

(1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पथकर प्लाजा स्थापित करेगा।

परंतु निष्पादन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर किंतु किसी भी स्थिति में ऐसी नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमाओं से पांच किलोमीटर के भीतर नहीं, पथकर प्लाजा स्थपित कर सकेगा या पथकर प्लाजा स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञात कर सकेगा।

परंतु यह और कि यदि, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का निर्माण मुख्यतः ऐसी नगर पालिका या नगर क्षेत्र के निवासियों के उपयोग के लिए नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से पाँच किलोमीटर के भीतर किया जाता है वहां पथकर प्लाजा, नगर पालिका या नगर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या ऐसी सीमाओं से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा।

(2) परियोजना/राज्यमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा मे चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा।

पंरतु जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वहां वह लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से, चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने के लिए रियायतग्राही के अनुज्ञात कर सकेगा।

परंतु यह और कि ऐसा पथकर प्लाजा दूसरे पथकर प्लाजा से चालीस किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकेगा, यदि ऐसा पथकर प्लाजा स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस के संग्रहण के लिए है।

(3) उप–नियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ परियोजना/ राज्य सड़क पर बंद उपयोगकर्त्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली प्रचलित हो, वहाँ निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही द्वारा फीस प्लाजा स्थापित किया जा सकेगा।

9. रियायत

(1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, अनुरोध किए जाने पर नियम 9 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पथकर प्लाजा पार करने के लिए बहु–यात्राओ हेतु पास प्रदान कर सकेगा।

(2) यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करता है, ऐसे पास का चयन कर सकता है तथा उसे निम्नलिखित दरों के अनुसार फीस का संदाय करना होगा अर्थात :–

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अविध
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत यांत्रिक वाहन का स्वामी है और उस प्रकार उसका उपयोग परियोजना/ राज्यमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग पर यात्रा करने के लिए करता है, आधार वर्ष 2026–27 के लिए प्रति कैलेंडर मास दो सौ नब्बे रूपए और नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से पुनरीक्षित आधार दर पर फीस के संदाय पर ऐसे पास

में विनिर्दिष्ट पथकर प्लाजा पार करने के लिए उसे अधिकृत करने वाला पास प्राप्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि, ऐसी कोई रियायत किसी अन्य राज्य सड़क, एकल पुल, अन्य संरचना अथवा सड़क के किसी अन्य खंड के फीस प्लाजा के लिए विस्तारित नहीं की जायेगी।

(4) कोई व्यक्ति, जो गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन का मालिक है, जिसके पास वैध और कार्यात्मक फॉस्टैग है, वह दो हजार पाँच सौ पचास रूपये का भुगतान करके पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बिहार सरकार के स्वामित्व वाले परियोजना/ राज्यमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर यह पास एक वर्ष के लिए या अधिकतम दो सौ बार गुजरने (क्रॉसिंग) के लिए, जो भी पहले हो, वैध होगा फिर भले ही प्रत्येक शुल्क प्लाजा पर कितना भी शुल्क लगता हो। इस शुल्क को कंडिका–5 के अनुसार वार्षिक पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) ऐसे यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को कोई पास जारी नहीं किया जाएगा या उससे फीस संग्रहित नहीं की जाएगी जो परियोजना/ राज्यमार्ग के सेक्शन के भाग का उपयोग करता है और पथकर प्लाजा को पार नहीं करता है।

10. अतिभराई के लिए फीस की दर

(1) किसी यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या व्यक्ति के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां परियोजना/ राज्यमार्ग का उपयोग करने वाला कोई यांत्रिक वाहन अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से अधिक लदान किया हुआ पाया जाता है, तो अधिक भार ब्योरे के साथ ऐसे वाहन का ब्यौरा राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर (वाहन) पर ज्ञापित किया जाएगा।

(2) सरकार द्वारा यथा अधिसूचित और फीस प्लाजा पर संस्थापित किसी उपयुक्त भार मापन युक्ति के माध्यम से यांत्रिक वाहन के लदानरहित भार और उस पर लादे गए भार के कुल योग की पहचान की जाएगी और यह सकल वाहन भार कटौती के पश्चात अतिरिक्त भार, यदि कोई हो, का अवधारण करने के लिए आधार होगा।

परंतु जहां फीस प्लाजा पर भार मापने वाला ऐसी कोई युक्ति संस्थापित नहीं की गयी है, वहां अतिभराई के लिए कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी और यथास्थिति, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे वाहन हेतु लागू फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) यथास्थिति, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति परियोजना/राज्यमार्ग का उपयोग करते समय अतिभारित वाहन के लिए फीस का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो डिजिटल संदाय साधनों जिसके अंतर्गत फास्टैग या एकल भुगतान प्रणाली (युपीआई) या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए एवं राज्य सरकार को स्वीकार्य हो, नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर संग्रहित की जाएगी–

सारणी

<table>
<tr><td>अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अतिरिक्त भार की प्रतिशत</td><td>फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक</td><td>फीस</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>10 प्रतिशत तक</td><td>कोई अतिभार फीस नहीं</td><td rowspan="3">(नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन के ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू फीस)x (गुणक कारक)</td></tr>
<tr><td>10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत तक</td><td>2</td></tr>
<tr><td>40 प्रतिशत से अधिक</td><td>4</td></tr>
</table>

उदाहरण : (क) यदि किसी तीन–अक्षीय रिजिड ट्रक के लिए अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) 28.5 टन है, तो उसका 110 प्रतिशत (अर्थात अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से 10 प्रतिशत अधिक) 31.35 टन तथा 140 प्रतिशत (अर्थात अनुज्ञेय अधिकतम सकल वाहन भार से 40 प्रतिशत अधिक) 39.90 टन होगा। 31.35 टन तक किसी प्रकार की अधिभार फीस उद्गृहित नहीं होगी और 31.35 टन से अधिक भार के लिए उक्त ट्रक के लिए अधिभार फीस की गणना नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट की जाएगी–

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार (मीट्रिक टन में)	फीस की आधार दर के लिए गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
31.35 टन तक	कोई अतिभार फीस नही	(नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन का ऐसा प्रवर्ग के लिए लागू फीस) x (गुणक कारक)
31.35 से 39.90 टन तक	2	
39.90 टन से अधिक	4	

(4) यदि ऐसा वाहन बिना फास्टैग या विधिमान्य, कार्यात्मक फास्टैग के परियोजना/ राज्यमार्ग में प्रवेश करता है, तो उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार फीस दरों की गणना के लिए नियम 6 के उपनियम 3 के उपबंध भी लागू होगें।

(5) इस नियम के उपबंध इस नियम के प्रारंभ से पहले निष्पादित निजीनिवेश परियोजनाओं पर लागू नहीं होगें जब तक कि रियायतग्राही किसी प्रतिकर की मांग के बिना इस उपबंध द्वारा शासित होने के लिए स्पष्ट सहमति व्यक्त न करें।

11. फीस के संदाय से छुट–

(1) ऐसे यांत्रिक वाहन से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे है और उसके साथ चल रहे है–

(i) भारत के राष्ट्रपति

(ii) भारत के उपराष्ट्रपति

(iii) भारत के प्रधान मंत्री

(iv) राज्य के राज्यपाल

(v) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति

(vi) लोक सभा अध्यक्ष

(vii) संघीय मंत्रीमंडल के मंत्री

(viii) राज्य के मुख्यमंत्री

(ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति

(x) संघ के राज्यमंत्री

(xi) संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल

(xii) सेनाध्यक्ष जो पूर्ण जनरल अथवा समकक्ष रैंक पर हो

(xiii) राज्य विधान परिषद के सभापति

(xiv) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष

(xv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(xvi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

(xvii) राज्य के महाधिवक्ता

(xviii) संसद सदस्य

(xix) आर्मी कमांडर अथवा उप–सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेनाओं में समकक्ष रैंकधारी

(xx) राज्य में संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव

(xxi) सचिव, भारत सरकार

(xxii) सचिव, राज्य सभा

(xxiii) सचिव, लोक सभा

(xxiv) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति

(xxv) राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते है।

(xxvi) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार–प्राप्तकर्ता व्यक्ति, यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो–युक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते है।

स्पष्टीकरण– इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, "सुरक्षा वाहन" से अभिप्रेत ऐसा वाहन है जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों या राज्य पुलिस की सुरक्षा कर्मी यात्रा कर रहें हों"।

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है.–

(i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना को भी विस्तारित किए गए है के अनुसार छुट के लिए पात्र है।

(ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल

(iii) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(iv) अग्नि शमन विभाग या संगठन

(v) परियोजना/राज्यमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जो ऐसे वाहन का प्रयोग निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है।

(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन

(घ) शववाहन के रूप में प्रयुक्त वाहन

(ड) किसी प्रकार की शारीरिक असमर्थता अथवा कमी से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहन या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बने नियमों के अधीन "दिव्यांगजन" प्रकार के स्वामित्व के रूप में रजीस्ट्रीकृत।

(च) ऐसे शासकीय यांत्रिक वाहन जो बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों को ले जा रहा हो।

12. सूचना का संप्रदर्शन

(1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यांत्रिक वाहन से प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के एक–एक समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन है, प्रकाशित करेगा।

(2) निष्पादन प्राधिकारी पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर एवं पाँच सौ मीटर पहले हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सहज रूप से निम्नलिखित को संप्रदर्शित करेगाः

(i) प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए संदेय फीस की रकम और नियम 9 के अधीन उपलब्ध रियायतें

(ii) फीस के संदाय से छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग और

(iii) यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का नाम, पता और फोन या संपर्क नंबर।

(3) संप्रदर्शन बोर्डों की ऊँचाई, उनकी गुणवत्ता और अक्षरों का आकार नवीनतम भारतीय सड़क काँग्रेस के दिशा– निर्देशों के अनुसार होगा एवं उपयोगकर्त्ताओं के लिए सहज रूप से दृष्टव्य और पठनीय होगा।

13. अनाधिकृत संग्रहण–

(1) यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहित अधिक फीस, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और संग्रहित अधिक फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि के साथ ऐसे प्राधिकारी या रियायतग्राही से उसकी वसूली कर सकेगा।

परंतु ऐसी अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जायेगी जब तक यथास्थिति, निष्पादन पदाधिकारी या रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) फीस के अप्राधिकृत संग्रहण से व्यथित यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इस निमित्त, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उस शिकायत पर तीस दिन के भीतर अधिक संदाय के प्रतिदाय और ऐसे उपयोगकर्त्ता को हुई असुविधा हेतु नुकसानियों के लिए आदेश पारित कर सकेगा।

14. फीस का संदाय करने में असफलता

(1) यदि यांत्रिक वाहन का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, परियोजना/राज्यमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस का संदाय नहीं करता है या संदाय करने से इंकार करता है तो उसके वाहन को

परियोजना/ राज्यमार्ग के ऐसे सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा वाहन यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधा पहुंचाता है तो, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही ऐसे बाधक वाहन को, यथास्थिति, परियोजना/राज्यमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से हटवा सकेगा।

(2) जहां, यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संदाय करने से इंकार करेगा या उसमें असफल रहेगा तो उसकी वसूली यांत्रिक वाहन के रजिस्ट्रीकृत स्वामी से की जाएगी।

(2क) उप–नियम (2) को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यांत्रिक वाहन के स्वामी से असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस निम्नलिखित तरीके से वसूल की जाएगी, अर्थात्:–

(क) वाहन का विवरण, घटना की तिथि और स्थान तथा देय उपयोगकर्त्ता फीस की राशि निर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सूचना (जिसे इसके पश्चात "ई–नोटिस" कहा जाएगा) राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (वाहन) में उपलब्ध वाहन के स्वामी के नाम पर जारी की जाएगी।

(ख) ई–नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जा सकता है, जिसमें लघु संदेश सेवा (एसएमएस), इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई–मेल), मोबाईल आधारित संदेश एप्लीकेशन या बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल है और इसे भौतिक रूप में भी भेजा जा सकता है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर ई–नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) बिहार सरकार या उसका कार्यकारी प्राधिकारी, प्रवर्तन उपायों और ऐसी असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस की वसूली के प्रयोजनों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (वाहन) के साथ तकनीकी और प्रणालीगत एकीकरण कर सकता है।

(2ख) उप–नियम (2क) के अधीन जारी ई–नोटिस के अनुसरण में देय असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस, नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट वाहन की संबंधित श्रेणी पर लागू उपयोगकर्त्ता फीस के दोगुने के बराबर राशि होगा और

इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए गए भुगतान के अन्य माध्यम से किया जाएगा।

परंतु जहां ई–नोटिस जारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस का भुगतान किया जाता है, तो देय राशि संबंधित वाहन श्रेणी पर लागू उपयोगकर्त्ता फीस तक सीमित होगी, जैसा कि नियम 4 के उप–नियम (2) में यथा निर्दिष्ट है।

(2ग) किसी ई–नोटिस से व्यथित किसी यांत्रिक वाहन का कोई स्वामी या चालक, उसके जारी होने के समय से बहत्तर (72) घंटों के भीतर, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2घ) जहां उप–नियम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, वहाँ निष्पादन प्राधिकार या रियायतग्राही, जैसा भी मामला हो, ऐसे अभ्यावेदन की जाँच करेगा और उसका निपटारा करेगा तथा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रीकृत स्वामी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

परंतु यदि अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन की समाप्ति पर उसका निपटान नहीं किया जाता है, तो निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का अंसदत्त उपयोगकर्त्ता फीस का दावा समाप्त हो जाएगा।

(2ड.)यदि किसी यांत्रिक वाहन का स्वामी या चालक ई–नोटिस जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस का भुगतान करने में विफल रहता है और उपनियम–2ग के अधीन कोई अभ्यावेदन लंबित नहीं है, तो उप–नियम 2ख के अधीन वाहन स्वामी से वसूल किया जाने वाली असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस की राशि राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (VAHAN) में दर्ज की जाएगी, और असंदत्त उपयोगकर्त्ता फीस का भुगतान होने तक राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री (VAHAN) के माध्यम से ऐसे वाहन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए।

(3) जहां यथास्थिति, बिहार सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई यांत्रिक वाहन देय फीस का संदाय

किए बिना परियोजना/राज्यमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग मे चल रहा है तो वहां उसके संदाय का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए उस वाहन को रोक सकेगा और ऐसे वाहन से बकाया फीस की वसूली कर सकेगा।

15. अभिलेखों का सत्यापन करने की बिहार सरकार की शक्ति–

यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस के संग्रहण का सत्यापन करने तथा यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के किसी दस्तावेज, अभिलेखों, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

16. निजी निवेश परियोजना के संबंध में फीस का संग्रहण –

(1) नियम 3 के उप–नियम (3) के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, रियायतग्राही द्वारा उसके एकरारनामा के प्रवृत्त रहने तक किया जाएगा।

(2) नियम–3 के उप–नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट एकरारनामा की समाप्ति की तारीख से ही उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

17. अतिरिक्त अवरोधक के संस्थापन का वर्जन–

पथकर प्लाजा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई अवरोधक, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के सिवाए संस्थापित नहीं किया जाएगा जो यह समाधान होने के पश्चात् कि फीस का अपवंचन हुआ है, ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो वह अधिरोपित करे, फीस के अपवंचन को रोकने के लिए पथकर प्लाजा से दस किलोमीटर के भीतर, यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा ऐसे अतिरिक्त अवरोधक की संस्थापना किए जाने की अनुमति दे सकेगाः

परंतु यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी किसी भी समय लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति को वापस ले सकेगा।

परंतु यह और कि जहाँ यथास्थिति, बिहार सरकार या निष्पादन प्राधिकारी, रियायतग्राही द्वारा अतिरिक्त अवरोधक की स्थापना किए जाने की अनुमति नहीं

देता है, वहां इस प्रकार इंकार किए जाने के कारणों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर रियायतग्राही को संसूचित किया जाएगा।

18. लेखा परीक्षा, लेखा एवं राजस्व प्रबंधन

(1) कार्यान्वयन/ निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही, जैसा भी मसला हो, उपयोगकर्त्ता शुल्क के अधिरोपण, संग्रहण, प्रेषण तथा उपयोग से संबंधित उचित लेखा पुस्तकें, अभिलेख एवं दस्तावेज उस प्रारूप एवं रीति से संधारित करेगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) समस्त उपयोगकर्त्ता शुल्क संग्रह का दैनिक आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा रियायत एकरारनामा की शर्तो अथवा कार्यान्वयन प्राधिकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार जमा अथवा प्रेषित किया जाएगा।

(3) उपयोगकर्त्ता शुल्क संग्रह से संबंधित खाते निम्नलिखित के अधीन होगें :–

(क) कार्यान्वयन/ निष्पादन प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखा–परीक्षा,

(ख) लागू विधि के अनुसार नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वैधानिक लेखा–परीक्षा,

(ग) राज्य सरकार अथवा जहां लागू हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्देशित विशेष लेखा– परीक्षा अथवा निरीक्षण।

(4) कार्यान्वयन/ निष्पादन प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही लेखा–परीक्षण प्राधिकरण को टोल लेन–देन आंकड़ो, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अभिलेखों, बैंक विवरणों, मिलान विवरणों तथा सहायक दस्तावेजों का पूर्ण अभिगम उपलब्ध कराएगा।

(5) लेखा–परीक्षा के दौरान पाई गई किसी भी न्यूनता, अधिशेष संग्रहण, राजस्व का नुकसान अथवा अनियमितता की स्थिति में, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, यथास्थिति, उसकी वसूली अथवा सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, तथा यह इस नियमावली या रियायत अनुबंध के अधीन दण्ड अधिरोपित किये जाने अथवा किसी अन्य कार्रवाई किये जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(6) राज्य सरकार टोल परिचालन में पारदर्शिता एवं जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु राजस्व प्रबन्धन, मिलान, प्रतिवेदन प्रारूपों तथा समय सीमाओं के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

19. प्रोद्यौगिकी रूपरेखा एवं फास्टैग अनुपालन

(1) इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह हेतु समर्पित लेन उपलब्ध कराई जाएगी तथा अंतर-प्रचालनीयता, आंकड़ों की शुद्धता एवं वास्तविक समय में लेन-देन प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

(2) विनिर्दिष्ट प्रोद्यौगिकी मानकों अथवा फास्टैग आवश्यकताओं के निरंतर अथवा जानबूझकर किए गए अनुपालनहीनता को एक मौलिक उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप, टोल संग्रह अधिकारों का निलंबन, रियायत एकरारनामा अथवा इस नियमावली के अधीन उपबंधित अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।

20. शिथिलीकरण की शक्ति

(1) राज्य सरकार, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि इस नियमावली अथवा इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा यह लोकहित में नहीं है तों अभिलिखित कारणयुक्त आदेश द्वारा किसी परियोजना के वर्ग, सड़क, वाहनों की श्रेणी अथवा क्षेत्र के सबंध में ऐसे उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल अथवा उससे छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) इस उपबंध के अधीन प्रदान की गई कोई भी शिथिलता इन नियमों के उद्देश्यों के अनुरूप होगी तथा सड़क सुरक्षा अथवा लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) राज्य सरकार शिथिलता प्रदान करते समय ऐसी शर्तें अथवा सुरक्षा उपाय अधिरोपित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

21. निर्देश जारी करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश, दिशा-निर्देश अथवा स्पष्टीकरण जारी कर सकेगी।

(2) सभी कार्यान्वयन प्राधिकरण एवं रियायतग्राही ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे और वे उन पर बाध्यकारी होंगे।

22. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य नियंत्रणाधीन सड़कों पर उपयोगकर्त्ता शुल्क के अधिरोपण एवं संग्रहण से संबंधित जारी सभी आदेश, अधिसूचनाएं, दिशा–निर्देश अथवा अनुदेश, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत हैं, इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से असंगति की सीमा तक अधिक्रमित होंगे।

(2) ऐसे अधिक्रमित के होते हुए भी :–

(क) निरसित अथवा अधिक्रमित उपबंधों के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई अथवा किया गया कोई कार्य इन नियमों के तत्संगत उपबंधों के अधीन किया गया अथवा की गई मानी जाएगी।

(ख) विद्यमान रियायत एकरारनामा, संविदाएं एवं व्यवस्थाएं उनकी शर्तों के अनुसार वैध एवं प्रवर्तनीय बनी रहेंगी, जब तक कि उन्हें इन नियमों के अनुरूप विशेष रूप से संशोधित न किया जाए।

(3) पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण से इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व अर्जित किसी भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट :– अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों के बीच किसी प्रकार की विसंगति अथवा व्याख्या संबंधी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि –सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि –अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / नियम–01–04 / 2026 4512(S) पटना, दिनांक – 06/7/26

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।